



प्रेषक,

पीयूष वर्मा,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त,

उद्योग,

लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 08-08-2025

विषय:- प्रदेश में पूंजी निवेश हेतु देश में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो/ट्रेड फेयर आदि में प्रतिभाग किये जाने हेतु वांछित धनराशि रु. 1,24,66,000.00 की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इन्वेस्ट यू0पी0 के पत्र संख्या-इन्वेस्ट यूपी/53/बजट/ 2025-26(लेखा) दिनांक 04.06.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो (दिनांक 19 जनवरी से 22 जनवरी 2025) ग्रेटर नोएडा, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 (दिनांक 17 जनवरी से 22 जनवरी, 2025) भारत मण्डपम नई दिल्ली एवं Gartex Tex Process India (दिनांक 22 मई से 24 मई 2025) मुम्बई आदि में वहन हेतु वांछित धनराशि रु. 20.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के अंतर्गत लेखाशीर्ष 2852- उद्योग, 80- सामान्य, 800- अन्य व्यय, 36- ' प्रदेश में पूंजी निवेश हेतु देश में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड शो/ट्रेडफेयर आदि में प्रतिभागिता हेतु' मानक मद 42 - अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रु. 20.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 124.66 लाख (रुपये एक करोड़ चौबीस लाख छह हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. उक्त धनराशि को आहरित कर इन्वेस्ट यू0पी0 को उपलब्ध कराया जाएगा जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग लखनऊ के माध्यम से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

महालेखाकार उ0प्र0 तथा वित्त विभाग उ0प्र0 शासन एवं समस्त संबंधितों को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।

2. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
 3. धनराशि का आहरण नियमानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जाएगा एवं वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
 4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त किया जाएगा।
 5. स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा किया जाएगा।
 6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।
 7. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व आहरित करके एकमुश्त बैंक/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
 8. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा रखा जाएगा।
 9. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए इन्वेस्ट यू0पी0 उत्तरदायी होगा।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,24,66,000.00 (रुपये एक करोड़ चौबीस लाख छछठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-007 लेखा शीर्षक 2852808003600** 'प्रदेश में पूंजी निवेश हेतु देश में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड शो/ट्रेडफेयर आदि में प्रतिभागिता हेतु ' **मानक मद 42** अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-6-29-X-2025-26, दिनांक 07.08.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
पीयूष वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या-63/2025/1714(1)/77-6-2025/1937259 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
5. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू०पी० के पत्र संख्या-इन्वेस्ट यू०पी/53बजट/2025-26(लेखा) दिनांक 04.06.2025 के क्रम में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. निदेशक, वितीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/4
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
- 10.नियोजन अनुभाग-1/4
- 11.औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 12.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामध्यान रावत
उप सचिव।